वद्यिुत उपभोक्ताओं के लयि‍े एमनेस्टी व स्वैच्छकि भार वृद्ध‍ि घोषणा योजना लागू

चर्चा में क्यों?

12 जनवरी, 2023 को राजस्थान के ऊर्जा राज्यमंत्री भँवर सहि भाटी ने बताया कि राज्य में कृषि श्रेणी के नयिमति व कटे हुए कनेक्शनों व अन्य श्रेणी के कटे हुए कनेक्शनों के उपभोक्ताओं से बजिली की बकाया राशि की वसूली के लयि‍े वद्यिुत वतिरण नगिमों द्वारा एमनेस्टी योजना लागू की गई है। इसके साथ ही कृषि कनेक्शनों के अनाधकिृत बढ़े हुए भार को नयिमति कराने के लयि‍े स्वैच्छकि भार वृद्ध‍ि घोषणा योजना भी लागू की गई है।

प्रमुख बदि‍ु

- ऊर्जा राज्यमंत्री भँवर सहि भाटी ने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं को सुवधि‍ा प्रदान करने और कृषि क्षेत्र में वद्यिुत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्ध‍ि व राजस्व हान‍ि को रोकने के लयि‍े स्वैच्छकि भार वृद्ध‍ि घोषणा योजना लागू करने का नर्णिय लयि‍ा गया है।
- कृषि श्रेणी के अतरिक्ति अन्य सभी श्रेणी के वद्यिुत उपभोक्ताओं के 31 दसिंबर, 2022 तक कटे हुए कनेक्शनों की बकाया राशि की वसूली के लयि‍े 30 जून, 2023 तक एमनेस्टी योजना लागू की गई है।
- इस योजना के तहत उपभोक्ता द्वारा संपूर्ण मूल बकाया राशि 31 मार्च, 2023 तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज व वलिंब भुगतान शुल्क में शत-प्रतशित छूट प्रदान की जाएगी और यद‍ि उपभोक्ता द्वारा मूल बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान 1 अप्रैल से 30 जून, 2023 के दौरान जमा कराया जाता है तो वलिंब भुगतान शुल्क व ब्याज में 50 प्रतशित छूट प्रदान की जाएगी।
- योजना के तहत कृषि श्रेणी के नयिमति व कटे हुए कनेक्शनों के उपभोक्ता 31 दसिंबर, 2022 तक की बकाया राशि बिना ब्याज व पेनल्टी के एकमुश्त अथवा अधकितम 6 द्वमिासकि कस्तिों में जमा करा सकेंगे। उपभोक्ता के कटे हुए कनेक्शन को कृषि नीत‍ि के प्रचलति प्रावधानों के अनुसार जोड़ा जाएगा। जनि उपभोक्ताओं द्वारा गत तीन वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ ले लयि‍ा गया है उनके लयि‍े यह योजना उपलब्ध नही होगी और इस योजना के अंतर्गत चोरी व दुरुपयोग के मामले शामलि नही कयि‍े जाएंगे।
- योजना के तहत उपभोक्ता के कटे हुए कनेक्शन को संपूर्ण मूल बकाया राशि 31 मार्च, 2023 तक जमा करवाने अथवा संपूर्ण बकाया राशि वलिंब भुगतान शुल्क व ब्याज में 50 प्रतशित छूट के साथ 1 अप्रैल से 30 जून, 2023 तक जमा करवाने पर प्रावधानानुसार पुन: जोड़ा जा सकेगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लयि‍े उपभोक्ता को संबंधति सहायक अभयिंता कार्यालय एवं वृहद औद्योगकि श्रेणी के उपभोक्ताओं को वरषि्ठ लेखाधकिारी-सीए-एचक्यू के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- भँवर सहि भाटी ने बताया कि स्वैच्छकि भार वृद्ध‍ि घोषणा योजना 31 दसिंबर, 2022 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर लागू होगी और 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रहेगी।
- योजना के तहत दो वर्ष पूर्व तक कटे हुए कनेक्शनों को यद‍ि उपभोक्ता भार वृद्ध‍ि के साथ जुड़वाना चाहता है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है। योजना अवध‍ि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभक्ताओं के लयि‍े आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्ध‍ि व नई 11 केवी लाई एवं सब-स्टेशन का खर्चा नगिम द्वारा वहन कयि‍ा जाएगा।
- योजना लागू होने के दौरान यद‍ि किसी उपभोक्ता के बढ़े हुए भार की वीसीआर भरी जा चुकी है तो वह भी इस योजना के प्रावधानों के अनुसार नयिमति कर दी जाएगी। ऐसे कृषक जो उसी कुएँ पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्ध‍ि करते हैं अथवा दूसरे कुएँ पर जो उसी खसरा/खेत/परसिर/मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लयि‍े भार बढाते हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दयि‍ा जाएगा और यद‍ि पूर्व में दो मोटरें स्वीकृत हैं और कृषक उनके भार में वृद्ध‍ि करना चाहें तो वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- योजना की समाप्त‍ि 31 मार्च, 2023 के उपरांत भार सत्यापन के लयि‍े वशिेष अभयिान चलाया जाएगा और चेकगि के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधकि पाए जाने पर कृषि नीत‍ि के अनुसार राशि वसूल की जाएगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/amnesty-and-voluntary-load-increase-announcement-scheme-implemented-for-electricity-consumers